न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, उन्नाव।

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः–1170 / 2021

राज्य बनाम पप्पू आदि
दिनॉकः–22–11–2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर अभियुक्तगण पप्पू व गोविन्द न्यायालय में हाजिर हुए।

आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर उभय पक्षो को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन कथानक को विस्तार पूर्वक बताया गया तथा इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि अभियोजन कथानक को वह अपने साक्ष्य से प्रमाणित करेगे। अभियुक्त पक्ष द्वारा कहा कि उन्हे झूठा फॅसाया गया है तथा उनके विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का कोई साक्ष्य नही है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण पप्पू व गोविन्द के विरूद्ध धारा 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)(द,ध) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाती हूॅ।

अतः अभियुक्तगण पप्पू व गोविन्द के विरूद्ध धारा 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता व 3(1)(द,ध) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपो से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनॉक 20–1–2023 .को पेश हो। गवाहान नियत तिथि के लिए तलब हो।

(अल्पना शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0ऐक्ट) /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, उन्नाव।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, उन्नाव।

विशेष सत्र परीक्षण संख्याः-1170/2021

राज्य बनाम पप्पू आदि

<u>आरोप</u>

मै, अल्पना शुक्ला, विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-2, उन्नाव,
आप,

अभियुक्तगण पप्पू व गोविन्द को निम्न लिखित आरोपो से आरोपित करती हूँः-

प्रथमः- यह कि दिनांक 5-7-2022 को समय 12:30 बजे दोपहर, वहद स्थान खेत कन्हैया लाल, ग्राम बसधना, थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में आप लोगो ने एक राय होकर वादी सुखलाल के भॉजे कन्हैया लाल को लाठी डण्डो व लात घूसो से मार-पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः- यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आप लोगो ने एक राय होकर वादी सुखलाल के भॉजे कन्हैया लाल को अपमानित करने के आशय से भद्दी-भद्दी गालियॉ देकर उसकी लोक शान्ति भंग की। **इस प्रकार आप लोगो ने धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः- यह कि दिनांक 5-7-2022 को समय 12:30 बजे दोपहर, वहद स्थान खेत कन्हैया लाल, ग्राम बसधना, थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव में आप लोगो ने एक राय होकर वादी सुखलाल के भॉजे कन्हैया लाल जो कि अनुसूचित जाति का है, को अपमानित करने के आशय से जाति सूचक भद्दी-भद्दी गालियॉ देते हुए उसकी लोक शान्ति भंग की व मार-पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगो ने **धारा 3(1)(द, ध) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मै आप लोगो को आदेश देती हूँ कि उपरोक्त आरोप के संदर्भ में आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनॉक 22-11-2022

(अल्पना शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-2, उन्नाव।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे इंकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनॉक 22—11—2022

(अल्पना शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0ऐक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0—2, उन्नाव।